



# बिहार विधान सभा

## कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा  
नवम सत्र

13 जुलाई, 2023 ई०  
वृहस्पतिवार, तिथि  
22 आषाढ़, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

#### ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. सर्वश्री अजय कुमार, राजवंशी महतो एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [योजना एवं विकास विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

#### सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020-21 के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष 2021-22 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमिति के आलोक में सभा मेज पर रखा जाना ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020-21 के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष 2021-22 के "राज्य के वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।"
6. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
7. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।



8. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-44 के आलोक में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर का वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
9. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
10. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

वित्तीय कार्य

11. वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूर्क व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [नगर विकास एवं आवास विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा तथा शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा लिया जायेगा ।  
[मांग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है ।]

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023”

12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
13. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
14. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023” पर विचार हो ।
15. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023” स्वीकृत हो ।
16. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2023- 2600 /वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।  
प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/9/23/17/23  
(राजीव कुमार)

प्रभारी निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2023- 2600 /वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।  
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय नेता विरोधी दल के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/9/23/17/23  
(राजीव कुमार)

प्रभारी निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2023-

2600

/वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/07/23  
(राजीव कुमार)

प्रभारी निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2023-

2600

/वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

21/07/23  
(राजीव कुमार)

प्रभारी निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2023-

2600

/वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशकगण/ उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/07/23  
(राजीव कुमार)

प्रभारी निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

पन्ना प्रशासन  
12-07-23